

LL.B. (Second Year) EXAMINATION, 2015
THE LAW RELATING TO TRANSFER OF
PROPERTY AND EASEMENT

Third Paper

Time allowed : Three Hours

Maximum Marks : 100

Part A (खण्ड 'अ')

[5×8=40]

Candidates are required to answer all questions

in Part-A (150 words each).

All questions carry equal marks.

खण्ड-अ में से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Part B (खण्ड 'ब')

[4×15=60]

Answer any four questions (300 words each).

All questions carry equal marks.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न

का उत्तर 300 शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Part A (खण्ड 'अ')

1. Explain and define the following :

- (a) Right to re-entry
- (b) Disappointed transferee
- (c) Onerous gift
- (d) Actionable claim—mere right to sue
- (e) A transfer of Rs. 10,000 to his sister-in-law if she shall leave her husband. Discuss the validity of transfer.

निम्नलिखित की परिभाषा और व्याख्या कीजिए :

- (क) पुनःप्रवेश का अधिकार
- (ख) निराश अन्तरिती
- (ग) दुर्भर दान
- (घ) अनुयोज्य दावा—दावा करने का अधिकार मात्र
- (ङ) 'अ' अपनी साली को 10,000 रु. इस शर्त पर अन्तरित करता है कि वह अपने पति को छोड़ दे। इस अन्तरण की वैधता का परीक्षण कीजिए।

Part B (खण्ड 'ब')

2. Define 'Gift'. What are its essential elements ? Whether a gift can be revoked before its registration ? Support your answer by citing the decision of the court.

दान को परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं ? क्या एक दान इसके रजिस्ट्रेशन के पूर्व खंडित किया जा सकता है ? अपने उत्तर की पुष्टि न्यायालय के निर्णय का उदाहरण करते हुए कीजिए।

3. Discuss the doctrine of clog on redemption.

मोचन पर बाधा के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।

4. Explain and illustrate the doctrine of "feeding the grant by estoppel" as provided in Sec. 43 of T.P.A. 1882. What is apparent conflict between Sec. 43 and Sec. 6(A) ?

"विबन्ध द्वारा दान के परिपोषण के सिद्धान्त" जो कि संपत्ति अन्तरण अधि. 1882 की धारा 43 में दिया गया है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। धारा 43 तथा धारा 6 (अ) के बीच क्या प्रत्यक्ष अन्तर है ?

5. Explain with exceptions 'the rule against perpetuity' as mentioned in Sec. 14 of T.P. Act, 1882.

स. अ. अधि. 1882 की धारा 14 में वर्णित 'शाश्वतता के विरुद्ध नियम' की इसमें अपवादों सहित व्याख्या कीजिए।

6. Define the doctrine of election. On what principles this doctrine is based ?

चयन के सिद्धान्त की परिभाषा दीजिए। इस सिद्धान्त के क्या-क्या आधार हैं ?

7. Define and explain an easement. What are the various modes for the acquisition of an easement ? State the circumstances in which an easement is extinguished.

सुखाधिकार को परिभाषित कीजिए व समझाइये। सुखाधिकार अर्जित करने के कौन-कौनसे तरीके हैं ? उन परिस्थितियों को बताइये जिनमें सुखाधिकार समाप्त हो जाता है।

8. Distinguish between the following :

- (a) Vasted interest and contingent interest
- (b) Void transfer and void condition
- (c) Sale and exchange
- (d) Marshalling and contribution.

निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए :

- (क) निहित हित व समाश्रित हित
- (ख) शून्य अन्तरण व शून्य शर्त
- (ग) विक्रय व विनिमय
- (घ) क्रमबंधन व अभिदाय।